न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–232/13

1. सन्तारा देवी पत्नी श्री मूलचन्द,
2. कविता पुत्री मूलचन्द,
3. राजेश पुत्र मूलचन्द,
4. विजय सिह पुत्र मूलचन्द,
5. सरदाराराम पुत्र मूलचन्द,
6. फूला पत्नी श्री रामजीलाल,
7. मीना उर्फ बीना पुत्री रामजीलाल, जाति अहीर, निवासी दलोता ताल्लुका, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

–– रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 23.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला जयपुर के आदेश दिनांक 09.03.2017 (प्रकरण संख्या 27/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टयर व खसरा नम्बर 277 रकबा .39 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा .41 हैक्टयर गत खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से बने है, उक्त भूमि व अन्य भूमि के अपीलान्ट व अन्य रिकार्डड खातेदार है, उक्त भूमि बंटवारे में अपीलान्टान के पिता मूलचन्द व रामजीलाल को अन्य भूमि के साथ आई व वे उक्त भूमि पर काबिज है, अपीलान्ट उक्त मूलचन्द व रामजीलाल के वारिसान है, जमाबन्दी मे नाम अंकित है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार खेतडी ने बिना मौका देखे व बिना कोई जांच किये विवादित भूमि में रास्ते की बात कहते हुए एक प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में भेजा जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये ही व बिना खातेदारों को कोई नोटिस दिये ही दिनांक 09.03.2017 को उक्त नम्बरान में रास्ता दर्ज करना की विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह निर्विवाद है कि पटवारी हल्का ने मौके जांच के समय अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया, न मजमेआम का कोई सार्वजनिक नोटिस ही दिया गया एवं गिरदावर हल्का ने भी कोई जॉच मौके पर नही की एवं न तहसीलदार द्वारा सत्यता की जांच

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O

की गई और भेज दिया व उपखण्ड अधिकारी ने कोई नोटिस न देकर एवं कोई जांच न कर दिनांक 09.03.2017 को अपना अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो को विपरित पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 132 एवं राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 86 में भी व्यवस्था दी है तथा धारा 131 अनुसार मानचित्र तथा क्षैत्रमति (फिल्डबुक) का संधारण सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू अभिलेख अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों के अनुसार मानचित्र व फिल्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गांव या गांव के भाग भू सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तन को उसमें लेख तथा ऐसी गलतीयों को ऐसे मानचित्र या फिल्डबुक में की गई बतलाई जावें सही करेंगा व धारा 132 के अनुसार वार्षिक रजिस्टर–1 भू अभिलेख अधिकारी अभिलेख कर संधारण करेंगा तथा इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ष या ऐसे लम्बे समय सामान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित करें धारा 114 व 120 में वर्णित (गिनाऐ गये) रजिस्टरों का एक सैट या संशोधित सैट जैसे भी स्थिति हो तैयार करवाएगा और इस प्रकार तैयार किय गये रजिस्टर वार्षिक रजिस्टर कहलाएंगे,

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन न हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है कि जिस पहलू पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.03.2017 निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार खेतड़ी के प्रस्ताव के अनुसार रास्ता मौके पर चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही होने से जिस पर तहसीलदार खेतडी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खतेड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।